

कृषि उपज समिति, काँगड़ा जिला काँगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के वर्ष 2014-15 के लेखाओं का अंकेक्षण
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1 प्रारम्भिक :-

(क) कृषि उपज समिति, काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के अवधि 1-04-14 से 31-03-15 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन विद्ययेक 2005 की धारा 48.2 के अनुसार निवासी लेखा परीक्षा योजना के अंतर्गत किया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान कृषि उपज समिति, काँगड़ा में श्री एन.के.धीमान सचिव के पद पर कार्यरत रहे।

(ख) आय व व्यय के मुख्य साधन :-

कृषि उपज समिति, काँगड़ा के आय के मुख्य साधन मण्डी शुल्क, दुकानों का किराया, जमा राशियों पर अर्जित ब्याज व व्यापारियों से जुर्माने की वसूलियां इत्यादि शामिल है। समिति द्वारा वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान मुख्यतः स्थापना (Establishment), निर्माण कार्यों, गाड़ियों के रख-रखाव, लेखन सामग्री के मुद्रण, मानदेय तथा Legal charges इत्यादि मदों पर व्यय किया गया है।

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं	पैरा सं	विवरण	रुलाखों में
1.	6.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना	35.22
2.	7.	दुकानों के लम्बित किराये के रूप में वसूली न करना।	15.24
3.	8.	मार्किट यार्ड काँगड़ा में निर्मित छः कमरों के किराये की वसूली न करना।	5.15
4.	9.	मै० हिमाचल फ्लोर मिल्स काँगड़ा से मण्डी शुल्क के रूप में कम वसूली करना।	0.20
5.	10.	चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की कम राशि वसूलने बारे।	0.42
6.	11.	विभिन्न व्यापारियों से अंकेक्षण द्वारा मण्डी शुल्क के रूप में राशि की वसूली करना	0.28
7.	16.	चैक पोस्टों पर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित फल सब्जी का मूल्य न दर्शाने बारे।	विवरणानुसार
8.	18	अंकेक्षण के दौरान की गई कटौतियां	08.66

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज समिति, काँगड़ा के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लम्बित पैरों का विवरण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट "A" पर दिया गया है।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

अवधि 1-04-14 से 31-03-15 के लेखों का अंकेक्षण निवासी अंकेक्षण योजना कृषि

उपज समिति काँगड़ा में किया गया। उक्त अवधि के दौरान श्री राजवीर सिंह (अनुभाग अधिकारी) निवासी अंकेक्षण योजना के प्रभारी के रूप में कार्यरत रहे।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कृषि उपज समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। कृषि उपज समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति काँगड़ा के वर्ष 2014-15 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹743300 बनता है, जिसे बैंक ड्राफ्ट संख्या :351408 दिनांक 17-03-16 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-09 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :- समिति द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज मण्डी समिति की वर्ष 2014-15 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

<u>विवरण</u>	<u>राशि</u>
आ० शेष	104638674.84
पावतियां	36837259.85
ब्याज (बचत+सावधि)	9143743.00
कुल जोड़	150619677.69
व्यय	24816830.60
अन्तशेष	125802847.09

परिशिष्ट-“क”

(ग) बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता न०	राशि
1.	के०सी०सी०बी० काँगड़ा	2001096	1862.90
2.	के०सी०सी०बी०पालमपुर	20141010054	34067.00
3.	एच०जी० बी० देहरा	87860101830451	642254.00
4.	यू०बी०आई० काँगड़ा	391902010005999	2993314.03
5.	एच०जी०बी० वरंडा	0034055	2070896.00
6.	के०सी०सी० डमटाल	092DP037003091	100048.67
7.	सी०बी०आई० काँगड़ा	1787001206	62449.00
8.	यू०को० बैंक काँगड़ा	10230110013588	52537.00
9.	पी०एन०बी० पालमपुर	2934000103061146	809776.60
10.	पी०एन०बी० डमटाल	39194	227292.89
11.	आई.डी.बी.आई. काँगड़ा	115910A000015084	65196.00
12.	सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि		113115437.00
13.	हस्तगत राशि		535331.00
		कुल जोड़	120710462.09

बैंक समाधान विवरणिका :-

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति व बैंक जमा में अन्तर (क-ख) ₹125802847.09- ₹5092385
₹120710462.09

अन्तर के कारण :-

+(i)आय कर विभाग द्वारा जब्त राशि जिसे 31-03-15 तक रोकड़ बही मे ₹5103000
भुगतान की प्रविष्टि नहीं की गई है।

+(ii)चैक जो बैंक में जमा करवाए गए परन्तु 31-03-15 तक क्रेडिट नहीं हुए ₹31885
(परिशिष्ट-ख)

-(iii)चैक जारी किए गए परन्तु 31-03-15 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए ₹42500
(परिशिष्ट-ग)

योग ₹5092385

5 निवेश :-

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, काँगड़ा द्वारा उपलब्ध करवाये गये परिशिष्ट "घ" के विवरणानुसार दिनांक 31-03-15 तक सावधि जमा योजना में ₹113115437 निवेशित थी।

6 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ₹35.23 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि 2014-15 के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु मार्किटिंग बोर्ड व विभिन्न विभागों के पास डिपोजिट बर्क के रूप में राशियाँ जमा करवाई गई जिसमें से कुछ एक प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	ड्राफ्ट सं व दिनांक	राशि
1.	C/O RMSY at Palampur	Through RTGS ON 16-04-14	759211
2.	SOP kissan bhawan icchi	HPSEB DDNO	56631
3.	C/ORMSY guler site development	Through RTGS ON 30-09-14	230000
4.	C/O RMSY at Palampur		578605
5.	C/O RMSY at Palampurcivil work		428805
6.	Enerigisation of hand pump and providing 4 no pvc tank at forest corporation	Through RTGS on 14-01-14	64702
7.	c/o RMSY Mahunala chhota bhangal)kangra		446925
8.	c/o shed for 12 no kiosks/booths Palampur	Through RTGS ON 05-03-15	496388
9.	c/o sub market yard guler	Through RTGS ON 31-03-15	89457
10.	c/o R.c.c slab over nallah jassur	Through RTGS ON 05-03-15	272940
11.	c/o shifting of canteen at RSMY jassur	DD 113238 dt 24-09-13	99538
		Total	3522902

7 दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹15.24 लाख की वसूली न करना:-

किराये से सम्बन्धित मांग एवं संग्रह (Demand and Collection Register)रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि उप सब्जी मण्डी जयसिंहपुर,धर्मशाला व ज्वालामुखी के निम्न वर्णित दुकानदारों से किराये के रूप में दिनांक 31-03-15 तक ₹1524022 वसूली हेतु शेष थी। जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उपज समिति,काँगड़ा किराये के एकत्रीकरण हेतु गम्भीर नहीं है। अतः निम्न विवरणानुसार लम्बित राशियों की वसूली हेतु तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए ताकि समिति को आय की प्राप्ति समय पर होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानी से भी बचा जा सके। अनियमितता का यह प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,शिमला-2 के विशेष ध्यानार्थ आवयश्यक एवं उचित कार्यवाई हेतु लाया जाता है।

क्रम सं	व्यापारी का नाम	मासिक किराया	अवधि	राशि
1.	मै० लक्ष्मी शिवा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 1 जयसिंहपुर	1193	7/05 से 6/08 36 मास	42948
	---यथोपरि ---	1312	7/08 से 6/11 36 मास	47232
	---यथोपरि ---	1443	7/11 से 11/11 5 मास	7215
2.	मै० शर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 2 जयसिंहपुर	1193	10/04 से 9/07 36 मास	42948
	---यथोपरि ---	1312	10/07 से 9/10 36 मास	47232
	---यथोपरि ---	1443	10/10 से 11/11 14 मास	20202
3.	मै० तमन्ना फ्रूट कम्पनी दुकान न० 3 जयसिंहपुर	1193	9/04 से 8/07 36 मास	42948
	---यथोपरि ---	1312	9/07 से 8/10 36 मास	47232
	---यथोपरि ---	1443	9/10 से 11/11 15 मास	21645
4.	मै० सोनू फ्रूट कम्पनी दुकान न० 4 जयसिंहपुर	1193	6/05 से 5/08 36 मास	42948
	---यथोपरि ---	1312	6/08 से 5/11 36 मास	47232
	---यथोपरि ---	1443	6/11 से 11/11 6 मास	8658

5.	मै० ठाकुर फ्रूट कम्पनी दुकान न० 5 जयसिंहपुर	1193	6/05 से 5/08	36 मास	42948
	---यथोपरि ---	1312	6/08 से 5/11	36 मास	47232
	---यथोपरि ---	1443	6/11 से 11/11	6 मास	8658
6.	मै० जानू फ्रूट कम्पनी दुकान न० 6 जयसिंहपुर	1193	8/05 से 7/08	36 मास	42948
	---यथोपरि ---	1312	8/08 से 7/11	36 मास	47232
	---यथोपरि ---	1443	8/11 से 11/11	6 मास	5772
7.	मै० अरविन्द जग्गी कैंटीन	500	9/04 से 8/07	36 मास	18000
	---यथोपरि ---	550	9/07 से 8/10	36 मास	19800
	---यथोपरि ---	605	9/10 से 11/11	15 मास	9075
8.	मै० बादशाह फ्रूट कम्पनी बूथ न० 2 जयसिंहपुर	700	9/04 से 8/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ---	770	9/07 से 8/10	36 मास	27720
	---यथोपरि ---	847	9/10 से 11/11	15 मास	12705
9.	मै० हरीश फ्रूट कम्पनी बूथ न० 3 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ---	770	10/07 से 9/10	36 मास	27720
	---यथोपरि ---	847	10/10 से 11/11	15 मास	11858
10.	मै० गणेश फ्रूट कम्पनी बूथ न० 4 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ---	770	10/07 से 9/10	36 मास	27720
	---यथोपरि ---	847	10/10 से 11/11	15 मास	11858
11.	मै० शिवा फ्रूट कम्पनी बूथ न० 5 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07	36 मास	25200
	---यथोपरि ---	770	10/07 से 9/10	36 मास	27720

	---यथोपरि ----	847	10/10 से 11/11 15 मास	11858
12.	मै० हरिकृष्ण फ्रूट कम्पनी बूथ न० 6 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	---यथोपरि ----	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	---यथोपरि ----	847	10/10 से 11/11 15 मास	11858
12.	मै० शिवशक्ति फ्रूट कम्पनी दुकान न० 10 धर्मशाला	46000	7/13 से 05/14 11मास	506000
13.	मै० जय हनुमान फ्रूट कम्पनी दुकान न० 3 ज्वालामुखी	2370	7/13 से 05/14 11मास	26070
14.	मै० पी.एँफ़.सी. दुकान न० 2 ज्वालामुखी	2370	1/15 से 03/15 3 मास	7110

कुल योग

₹1524022

8 मार्किट यार्ड काँगड़ा में निर्मित छः कमरों के किराये ₹5.15 लाख की वसूली न करना :-

अभिलेख की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि मार्किट यार्ड काँगड़ा में दुकानों के उपर छः कमरों का निर्माण किया गया है तथा कृषि उपज समिति की दिनांक 25-04-07 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार माह 5/07 से प्रत्येक दुकानदार से ₹1200 मासिक दर से तथा प्रत्येक तीन वर्ष उपरान्त 10% वृद्धि के साथ किराया वसूलना अपेक्षित था परन्तु कृषि उपज समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार किराये की ₹515040 कम वसूली की गई है जिसके संदर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाते हुये कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

व्यापारी का नाम	31-03-14 तक बकाया किराया	मासिक किराया	अवधि	राशि	31-3-15 तक वसूली गई राशि	31-3-15 को वसूली योग्य राशि
मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी	73360	1440	4/14 से 3/15 12 मास	17280		
			कुल	90640	4800	85840

मैसर्ज कुलजीत फ्रूट कम्पनी	73360	1440	4/14 से 3/15 12 मास	17280		
			कुल योग	90640	4800	85840
मैसर्ज हिमाचल फ्रूट कम्पनी	73360	1440	4/14 से 3/15 12 मास	17280		
			कुल योग	90640	4800	85840
मैसर्ज मनोहर सिंह इन्द्रजीत सिंह	73360	1440	4/14 से 3/15 12 मास	17280		
			कुल योग	90640	4800	85840
मैसर्ज कृष्णा फ्रूट कम्पनी	73360	1440	4/14 से 3/15 12 मास	17280		
			कुल योग	90640	4800	85840
मैसर्ज काँगड़ा फ्रूट एजेंसी	73360	1440	4/14 से 3/15 12 मास	17280		
			कुल योग	90640	4800	85840
					योग	₹ 515040

9 मैसर्ज हिमाचल फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड काँगड़ा से

₹0.20 लाख के मण्डी शुल्क कम

वसूली करना:-

हिमाचल फ्लोर मिल्स काँगड़ा के "O" फॉर्म न० 29111 दिनांक 30-03-15 की

जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹ 51120700 के गेहूँ का आयात किया गया जिस पर 1% की दर से ₹511207 का मण्डी शुल्क उक्त फर्म द्वारा भुगतान किया गया। अंकेक्षण द्वारा "O" फॉर्म की गणना करने पर पाया गया कि उक्त फर्म ने वास्तव में ₹ 53157073/- के गेहूँ का आयात किया गया था जिस पर 1% की दर से 531570 वसूलना अपेक्षित था। जो कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा फीस वसूलते हुए सही गणना न करने पर ₹20363/- की कम वसूल की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना सं:- एम० के०(काँगड़ा-वृत्त)2017/- 110 दिनांक 04-05-17 के द्वारा वर्तमान सचिव, मण्डी समिति को अवगत करवा दिया गया था परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उक्त

कम वसूल की गई राशि को उचित स्रोत से वसूल कर समिति खाते में जमा करवाया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

10 चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की वसूली करना :- ₹0.42 लाख की कम

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि कृषि उपज समिति द्वारा निम्नलिखित आढतियों एवं पंजीकृत व्यापारियों से उनके द्वारा चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर कम मण्डी शुल्क वसूला गया है। इस सन्दर्भ में निवासी अंकेक्षण योजना द्वारा अपनी विभिन्न अधियाचनाओं द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति काँगड़ा को समय-समय पर अवगत करवाया गया है, परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में आन्तरिक जाँच करके इन देय वसूलियों को सम्बन्धित व्यापारियों से शीघ्र वसूलना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

अवधि	फर्म का नाम	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली राशि
06/13 व 07/13	मैसर्ज कुमार चिकन	34355	22000	12355
03/14 व 04/14	मै० फ्रेंड्स डेयरी पालमपुर	9370	----	9370
04/13	मै० कल्याण टिम्बर	7660	----	7660
04/14 से 01/15	मै० सरताज फार्म फ्रेश धर्मशाला	22741	17611	5130
1/15	मै० आर.आर.इंटरप्राइजेज छत्रौली	9390	2069	7321
25-07-14 से 14-08-14	मै० बनबारी लाल न० बगवां	8812	8483	329
15-01-15 से 31-01-15	मै० न्यू शिवा जी फ्रूट कम्पनी न० बगवां	4979	4928	51
			कुल जोड़	₹ 42216

11 विभिन्न व्यापारियों से अंकेक्षण द्वारा मण्डी शुल्क के रूप में ₹0.28 लाख की वसूली करना:-

निवासी अंकेक्षण योजना द्वारा मण्डी शुल्क की देय वसूली के विभिन्न मामले अंकेक्षण अधियाचनाओं के माध्यम से सचिव , कृषि उपज मण्डी समिति काँगड़ा द्वारा कार्यवाई करते हुए देय मण्डी शुल्क की वसूलियां सम्बन्धित फर्मों से करके समिति निधि में जमा करवा दी गई , जिनकी जाँच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएँ न दोहराई जाएँ। वसूल की गई राशियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

फर्म का नाम	अवधि	रसीद संख्या	दिनांक	अधियाचनाओं द्वारा वसूली गई राशि
मै० कुमार चिकन कार्नर काँगड़ा	03/14 व से 05/14	80005	13-03-15	1315
मै० चामुण्डा फर्नीचर हट्वास	04/14 व 5/14	74316,74317	10-03-15, 26-06-14	1470
मै० चाँद वूडन इंडस्ट्री दाड़ी	05/14	69807	26-06-14	20906
मै० आनन्द पोल्ट्री फार्म बनुरी	10/14	74307	10-3-15	3553
मै० बंटी चिकन कार्नर	08/14	74311	10-03-15	621
कुल जोड़				27865

12 पंजीकृत कत्था व्यापारियों से बिना वन विभाग के परमिट के मार्किट फीस वसूली बारे :-

अंकेक्षण द्वारा निम्नलिखितविवरणानुसार कत्था व्यापारियों की वर्ष 2014-15 की

पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उनके द्वारा ओ फार्म के साथ वन विभाग द्वारा जारी परमिट की छायाप्रति सलग्न नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त ओ फार्म में दर्शाई गई कत्थे की प्रमात्रा व रेट को सम्बन्धित प्रभारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया जिसके आभाव में वसूली मण्डी शुल्क की प्रमाणिकता व सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । बिना परमिट के मण्डी शुल्क वसूली व कत्थे की प्रमात्रा व दर को सम्बन्धित प्रभारी द्वारा सत्यापित नहीं करने

का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व भविष्य में वन विभाग के परमिट के आधार पर मण्डी शुल्क वसूलना सुनिश्चित किया जाए।

फर्म का नाम	ओ फार्म न०	दिनांक	कत्थे की मात्रा	दर	कुल राशि	मण्डी शुल्क
मैसर्ज प्रिया कत्था उद्योग चिंतपूर्णी	91954	26-03-15	260 क्विंटल	27000/-प्रति क्विंटल	7020000	70200
मैसर्ज विजय कुमार घई कत्था उद्योग कोटला	91904	26-03-15	272 क्विंटल	27400/-प्रति क्विंटल	7452800	74528

13 किसान विश्राम ग्रह ,ज्वालाजी,बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे :-

अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि धर्मशाला में किसान विश्राम ग्रह का निर्माण किया गया है तथा विश्राम ग्रह के लिए पूर्ण सामान का क्रय भी क्रय भी किया गया है ,परन्तु समिति द्वारा किसान विश्रामग्रह का संचालन नहीं किया जा रहा है जिससे लाखों रूपए की लागत से निर्मित विश्रामग्रह तथा क्रय किए गए सामान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त विश्रामग्रहों को कार्यन्वयन हेतु उचित पग उठाये जाएँ ताकि कृषि उपज मण्डी समिति काँगड़ा को किराये के रूप में आय प्राप्त हो सके।

14 मंडी शुल्क के निर्धारण (असैसमेंट) करने बारे :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :एम०के० काँगड़ा-वृत्त 17/-105 दिनांक:-01-05-17 द्वारा वर्तमान सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति काँगड़ा से वर्ष 2014-15 की मंडी शुल्क के आंकलन से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाने हेतु अनुरोध किया गया जिसके संबंध में सचिव,कृषि उपज मण्डी समिति,काँगड़ा द्वारा जो अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया उसमें केवल टिम्बर व्यापारियों की ही उक्त अवधि की मंडी शुल्क का आंकलन किया गया था। जबकि अन्य व्यापारियों जैसे की फल व सब्जी विक्रेता ,मुर्गा व अन्डे के व्यापारी,कत्था,बकरा,दूध, इत्यादि (टिम्बर व्यापारियोंको छोड़कर) पंजीकृत व्यापारियों की मंडी शुल्क का आंकलन करना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 व वर्ष

2013-14 के पंजीकृत व्यापारियों के मंडी शुल्क का आंकलन में मुर्गा व अन्डे के व्यापारी ,कल्था के व्यापारियों की मंडी शुल्क का आंकलन मण्डी समिति द्वारा नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकिय उपज विपणन विधयेक 2005 की धारा 61 के अनुसार मंडी शुल्क का आंकलन किया जाना आवश्यक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि मंडी शुल्क के आंकलन उपरान्त बकाया मंडी शुल्क की भी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये ।

15 पंजीकृत व्यापारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना :-

पंजीकृत व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि कई व्यापारियों द्वारा “0” फार्म पर व्यापार शून्य दर्शाया है परन्तु इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी प्राधिकारी /कर्मचारी द्वारा इस आशय की पुष्टि नहीं की गई है कि इस अवधि में शून्य दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं ? उक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण हेतु किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवम पर्यवेक्षण के स्थान पर व्यापारियों द्वारा “ओ” फार्म में की गई घोषणा के आधार पर ही मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है जोकि उचित प्रक्रिया नहीं है । अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में समय रहते वास्तविकता की पुष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए व सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क को जमा करने हेतु नियमों/विनियमों की उल्लंघना करने की परिस्थिति में प्रावाधित व्यवस्था के अनुसार दण्ड शुल्क सहित मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

16 चैक पोस्टों पर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित फल व सब्जी का मूल्य न दर्शाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को वित्तीय रूप से हानि बारे :-

चैक पोस्टों की माह 03/15 की आयात व निर्यात विवरणियों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित फल व सब्जी का मूल्य चैक पोस्टों पर दर्ज नहीं किया जा रहा है केवल सामग्री की मात्रा ही दर्ज की जाती है चैक पोस्ट कंडवाल पर केवल मै० रमेश चंद अमृतसर से जो फल ,सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयात किया जाता है केवल उनका ही मूल्य चैक पोस्ट कंडवाल पर दर्ज किया जाता है जबकि अमृतसर या जालन्धर व पंजाब,दिल्ली के अन्य व्यापारियों से जो पंजीकृत सब्जी व फल

के व्यापारियों द्वारा सामान आयात किया जाता है उनका कुल मूल्य चैक पोस्टों पर दर्ज नहीं किया जाता है एक ही स्थान से आयातित फल व सब्जी में केवल एक व्यापारी का मूल्य दर्ज करने व शेष का न करना तर्क संगत नहीं है अंकेक्षण के दौरान जाँच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2012-13 व 2013-14 तक जब दोनों चैक पोस्टों पर फल व सब्जी के पंजीकृत व्यापारियों का मूल्य दर्ज किया जाता था तो इसी आधार पर ₹317780 अंकेक्षण के दौरान विभिन्न अधियाचनाओं के द्वारा आपत्ति उठाने पर सचिव मण्डी समिति काँगड़ा द्वारा वसूली की गई तथा ₹ 109700 के वसूली के मामले शेष है जिनका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2013-14 के पैरा सं 9 व 13 में विस्तारपूर्वक दिया गया है। उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यह एक गम्भीर अनियमितता है व मण्डी समिति द्वारा फल व सब्जी व्यापारियों को अनुचित ढंग से लाभ दिया जा रहा है जिससे मण्डी समिति को वित्तीय रूप से हानि हो रही है। अतः मामला उच्च अधिकारियों व हि०प्र० मार्किटिंग बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक के ध्यान में विभागीय जाँच हेतु लाया जाता है व इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही उपरांत कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17 पंजीकृत व्यापारियों द्वारा भरे “ओ” फार्म पर व्यापार का पूर्ण ब्यौरा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के द्वारा आय व पंजीकृत व्यापारियों के “ओ” फार्म की जाँच करने पर पाया गया कि “ओ” फार्म में दर्शाए सभी कॉलम जैसे कि सामग्री को कहाँ से आयात किया जा रहा है, सामग्री की मात्रा/वजन, सामग्री की दर व बिल न० इत्यादि को नहीं भरा जाता है व सम्बन्धित कर्मचारी/प्रभारी द्वारा भी अधूरे ओ फार्म के आधार पर मण्डी शुल्क एकत्र किया जाता है जबकि उक्त के अभाव में वसूली मण्डी शुल्क की प्रमाणिकता व सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः ओ फार्म को पूर्ण रूप से न भरने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस संदर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाते हुये कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

18 अंकेक्षण के दौरान ₹8.66 लाख कि कटौती करना :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान अंकेक्षण में गलत भुगतान हेतु प्रस्तुत किए बिल्लों में से ₹865997 की कटौती की गई जिसका विवरण सम्बन्धित रजिस्टर के पृष्ठ 21 से 43 में दिया गया है व जिससे यह स्पष्ट होता है की समिति द्वारा विभिन्न अभिलेखों की जाँच सही व नियमित

तौर पर नहीं की जा रही थी। अतः कृषि उपज मण्डी समिति को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक जाँच को और सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 लघु-आपत्ति विवरणिका:- यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

20 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं० 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:—फिन(एल०ए०)एच(२)सी (१५)(१४)७६/८४ खण्ड—१०, ४३१७—४३१९, दिनांक, १३—०७—१७
शिमला—१७१००९,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत**
- १ सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सतिष्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - २ प्रबन्ध निदेशक, हि०प्र० कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीनी शिमला—१७१००२
 - ३ अवर सचिव (कृषि), हि०प्र० सरकार शिमला—१७१००२

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—१७१००९.
फोन नं० ०१७७—२६२०८८१

पैरा "A"

(पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में)

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज मण्डी समिति, काँगड़ा के अवधि 4/85 से 3/14 तक के , 19 अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कुल 64 पैरे लम्बित थे। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लम्बित पैरों के निपटारे /सैटलमेंट हेतु मण्डी समिति काँगड़ा एवं अंकेक्षण द्वारा कुछ प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप कुल लम्बित पैरों में से 24 पैरों को मौके पर सैटल किया गया। शेष 51 लम्बित पैरों में उठाई गई आपत्तियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में लाखों रुपयों की वसूलियां न करना , ठेकेदारों को किए गए अनियमित भुगतानों , दुकानों के किराये , व विशेषकर दुकानों के वास्तविक आबंटक के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दुकान का आबंटन करने जैसे गम्भीर मामलों व अन्य मामलों में उजागर की गई वसूलियों की वसूली करना शामिल है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के बावजूद ऐसी गम्भीर अनियमितताओं पर विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यवाई न करना बहुत बड़ी लापरवाही है जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को भारी वित्तीय हानि उठानी पड सकती है क्योंकि लम्बी समय अवधि बीत जाने के कारण इन वसूलियों को प्रभावित करना मुश्किल होगा। अतः वित्तीय अनियमितताओं एवं वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढंग से कार्यवाई करनी अति आवश्यक है जिसके लिए तुरन्त कार्यवाई करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना की सूचना समय-2 पर इस कार्यालय को भेजी जाये। शेष बचे अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/88

क्रम.सं	पैरा सं	पैरे का विवरण	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा-9(XI)	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जैसे माप पुस्तिका, प्राकलन कम्प्लीशन रिपोर्ट आदि को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	-----

2.	पैरा-9(XII)	निर्माण कार्यों पर स्टील, सीमेंट, इंटों व रेत, बजरी की खपत बारे।	अनिर्णीत	
----	-------------	--	----------	--

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/88 से 03/90

1.	पैरा-5(36)	गाड़ी सं .एच०पी०एम० 5152 द्वारा 11-2-1989 से 11-04-89 तक की गई निजि यात्रा (159 कि.मी.) के प्रभार की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा-5(37)	निर्माण कार्यों के लिए किए गए भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु प्रस्तुत न करने बारे	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/90 से 03/91

1.	पैरा-6(16)	निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को किए गए ₹83803/- के भुगतान के एवज में सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	अनिर्णीत	-----
----	------------	--	----------	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/92

1.	पैरा-14	ठेकेदारों को उनके बिलों में गलत गणना करके किए गए अधिक भुगतान की ₹122397.00 की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-----
----	---------	---	----------	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/96

1.	पैरा-5(V)	31 प्रकरणों में मण्डी शुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा-6(8)ग	न्यायालय के आदेशों के बाबजूद श्री विनोद कुमार से मण्डी शुल्क न वसूलना	अनिर्णीत	
3.	पैरा-6(XXV)ख	मण्डी यार्ड के निर्माण के लिए समय बढ़ोत्तरी बारे।	अनिर्णीत	
4.	पैरा6(XXVI)ख	सब्जी मण्डी के लिए बनाये गये लिंक रोड के कार्य के लिए समय में बढ़ोत्तरी बारे।	अनिर्णीत	

5.	पैरा6(XXVIII)	दुकानों की मुरम्मत के कार्य को श्री वी.पी.सिंह ठाकुर को कार्य आबंटित/अवार्ड करने के मामले में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत	
----	---------------	---	----------	--

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/99

1.	पैरा-11	₹239050/- के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख एवं इन कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की अंकेक्षण में जाँच न करवाना।	अनिर्णीत	-----
----	---------	---	----------	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 03/99 से 03/2000

1.	पैरा-12(क)1 से 5	एक ही आदमी की उसी अवधि के दौरान एक से ज्यादा मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाकर अनियमित भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा-15(1 व 2)	₹147057/- के निर्माण कार्य में उठाई गई गम्भीर आपतियों बारे। वांछित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2003

1.	पैरा-10	₹220190/- के निर्माण कार्यों की AE &ES (प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति बारे)	अनिर्णीत	-----
----	---------	---	----------	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/92004

1.	पैरा-10	अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों की स्वीकृति बारे।	अनिर्णीत	-----
----	---------	--	----------	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/92005

1.	पैरा-4	मण्डी शुल्क के रूप में ₹386828/- की कम वसूली करना ।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा -10	₹6804/- के भुगतान की स्वीकृति एवं एम०बी० व एम०ए०एस० में प्रविष्टियों बारे ।	अनिर्णीत	
3.	पैरा-11	₹13975/- के भुगतान की स्वीकृति एवं सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे ।	अनिर्णीत	
4.	पैरा-14	₹522472/- के निर्माण कार्यों के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट व कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात निर्मित भवन को Handover करने बारे	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1.	पैरा-13	कुल 98 व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली न करना ।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा -14	मण्डी समिति काँगडा द्वारा लाइसेंसों के नवीकरण में ढील बरतने बारे ।	अनिर्णीत	
3.	पैरा-15 (ग)	मण्डी शुल्क की वसूली बारे ।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1.	पैरा-5	मैसर्ज सागरिका डेयरी पालमपुर से दूध के आयात पर मण्डी शुल्क के रूप में ₹9926/- की कम वसूली करने बारे ।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा -7	मै० जितेन्द्र कुमार अजय कुमार शाहपुर से ₹6650/- की वसूली कर ली है लेकिन मै० पवन काजल ठेकेदार से ₹ 37258/- की वसूली शेष है जिसे तुरन्त वसूल करने के लिए आवश्यक पग उठाए जाए	आंशिक अनिर्णीत	

3.	पैरा-12	पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण में नियमों की अवहेलना बारे ।	अनिर्णीत	
4.	पैरा -13	कुल 47 व्यापारियों को लाइसेंस जारी करने के फलस्वरूप वर्ष 2006-07 के दौरान मण्डी शुल्क के रूप में कोई भी वसूली न करना ।	अनिर्णीत	
5.	पैरा-14(क)	मै० पंजाब हिमाचल फ्रूट कम्पनी कन्दरोडी के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रिकॉर्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत	
6.	पैरा-14(घ)	लाइसेंस के रिकॉर्ड को प्रस्तुत न करना ।	अनिर्णीत	
7.	पैरा-14 (ड.)	किरायेदार व लाइसेंस के हस्ताक्षर बारे	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1.	पैरा-11(क)	मण्डी शुल्क के रूप में ₹116344/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा -11(ख)	मण्डी शुल्क के रूप में ₹73578 /- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-----
3.	पैरा-12	मण्डी शुल्क के रूप में ₹45539/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-----
4.	पैरा-18	मैसर्ज चैना राम सन्त राम से ₹23993/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-----
5.	पैरा -20	व्यापारियों का नियमानुसार लाइसेन्स नवीकरण न करने बारे ।	अनिर्णीत	
6.	पैरा-21 (ख,घ व च)	रिकॉर्ड का ऑडिट में न प्रस्तुत करने बारे ।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

1.	पैरा-16	मण्डी शुल्क के रूप में ₹68894/- की वसूली न करने के परिणामस्वरूप पांच गुणा वसूली करना ।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा -22	अंकेक्षण में अभिलेख न प्रस्तुत किया जाना	अनिर्णीत	-----

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010

1.	पैरा-15	आलू के व्यापरियों से ₹158247/- का कम मण्डी शुल्क वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा -18	मै० तुली ऐग स्टोर काँगड़ा से बकाया मण्डी शुल्क की ₹529030/- न वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-----
3.	पैरा-21	मै० निखिल ट्रेड्स, दूध विक्रेता पालमपुर से बकाया मण्डी शुल्क के ₹55612/- न वसूलने बारे	अनिर्णीत	-----
4.	पैरा-22	मैसर्ज आदर्श मिल्क, दूध विक्रेता काँगड़ा से बकाया मण्डी शुल्क ₹79832/- वसूलने बारे ।	अनिर्णीत	-----

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011

1	पैरा-9	दुकान आबंटन व किराया एग्रीमेंट से सम्बन्धित रिकॉर्ड न उपलब्ध करवाने बारे ।	अनिर्णीत	-----
2.	पैरा -14	निलामी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे	अनिर्णीत	-----
3.	पैरा- 17	मै० तुली ऐग स्टोर काँगड़ा से कम्पाउन्ड शुल्क के रूप में ₹32400/- की वसूली न करने बारे ।	अनिर्णीत	-----

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012

1.	पैरा-20 (क,ख)	अंकेक्षण में अभिलेख न प्रस्तुत किया जाना	अनिर्णीत	-----
----	---------------	--	----------	-------

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1.	पैरा -8	चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की कम वसूली न करना ।	आंशिक निर्णीत	
2.	पैरा-12	मैसर्ज सोनम फ्रूट कम्पनी काँगड़ा के प्रोपराईटर/आबंटक को बदलने बारे ।	अनिर्णीत	
3..	पैरा -13	मण्डी समिति काँगड़ा की दुकान न०	अनिर्णीत	

		07 के वास्तविक आबंटक बदलने बारे		
4.	पैरा- 14	वास्तविक आबंटकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दुकान का आबंटन करने बारे ।	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014

1.	पैरा-3	अंकेक्षण शुल्क	निर्णीत	-----
2.	पैरा-4	वित्तीय स्थिति	निर्णीत	
3.	पैरा-5(ख)	बैंक द्वारा सावधि जमा पर कम ब्याज देना ।	अनिर्णीत	
4.	पैरा-6	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ₹781190/-के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जाँच हेतु अंकेक्षण में न प्रस्तुत करना ।	अनिर्णीत	
5.	पैरा-7	दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹992042 /-की वसूली न करने बारे ।	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है ।
6.	पैरा -8	मार्केट यार्ड काँगडा में निर्मित छःकमरों के किराये की ₹440160/-की वसूली न करना ।	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है ।
7.	पैरा -9	चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹109700/-की कम वसूली न करना ।	अनिर्णीत	
8.	पैरा -10	मैसर्ज पप्पू चिकन कार्नर काँगडा से कम्पाउन्ड शुल्क की ₹ 7410/- न वसूलने बारे	अनिर्णीत	
9.	पैरा-11	मार्केट फीस के निर्धारण(असैसमेंट)करने बारे	अनिर्णीत	
10.	पैरा -12	किसान विश्रामगृह,ज्वालाजी,बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे ।	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है

11.	पैरा -13	विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में ₹317780/- की वसूली करने बारे ।	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है ।
12.	पैरा-14	चैक पोस्टों की तिथि वार आयात-निर्यात विवरणियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	अनिर्णित	
13.	पैरा -15	स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे	अनिर्णित	
14.	पैरा -16	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन बारे ।	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है ।
15.	पैरा -17	अंकेक्षण के दौरान की गई कटौतियों बारे	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है ।

अनिर्णित पैरों का सार	पैरों की संख्या
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनुसार अनिर्णित पैरे	64
वर्ष 2014 -15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)16
कुल पैरे	80
अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरे	08
अन्त शेष (दिनांक 31-3-15 तक)	72